1. योजना का नाम

मधुबन–बापूधाम पॉकेट–ए0 एवं बी0

2. योजना का कोड

योजना	योजना कोड	सम्पत्ति कोड
मधुबन बापूधाम पॉकेट–बी0 (300 वर्गमी0)	907	710
मधुबन बापूधाम पॉकेट–ए0 एवं बी0 (200 वर्गमी0)	907	730
मधुबन बापूधाम पॉकेट–बी0 (120 वर्गमी0)	907	738
मधुबन बापूधाम पॉकेट–ए0 एवं बी0 (112.50 वर्गमी0)	907	740
मधुबन बापूधाम पॉकेट–ए0 एवं बी0 (90 वर्गमी0)	907	750
मधुबन बापूधाम पॉकेट–बी0 (60 वर्गमी0)	907	760
मधुबन बापूधाम पॉकेट–बी0 (40 वर्गमी0)	907	770

3. योजना का विवरण

तालिका संख्या–1 में अंकित है।

3.1 स्थिति

उक्त भूखण्ड़ प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के मध्य स्थित है।

3.2 भूखण्ड़ों का प्रकार

इस योजना में विभिन्न साईज के भूखण्ड़ है। भूखण्ड़ों का विवरण तालिका संख्या–1 में दिया गया है।

3.3 भूखण्ड़ों का अनुमानित क्षेत्रफल

भूखण्ड़ों का क्षेत्रफल तालिका संख्या–1 के कालम सं0–6 में दर्शाया गया है। यह क्षेत्रफल कब्जे के समय भिन्न हो सकता है।

3.4 भूखण्ड़ों की अनुमानित संख्या

भूखण्ड़ों की संख्या का विवरण तालिका संख्या–1 के कालम–11 में दर्शाया गया है। भूखण्ड़ों की संख्या में बिना किसी पूर्व सूचना के परिवर्तन किया जा सकता है।

3.5 भूखण्ड़ों का मूल्य

भूखण्ड़ों का अनुमानित मूल्य तालिका संख्या–1 के कालम संख्या–8 में दर्शाया गया है। शासनादेश दिनाँक 27.02.2009 के अनुसार कॉर्नर सम्पत्ति पर कुल मूल्य का 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

4. योग्यता

4.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

4.2 योजना में आवेदन करने की अन्तिम तिथि पर आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम न हो।

4.3 आवेदक या उसके परिवार (परिवार से तात्पर्य आवेदक, उसके पति/पत्नी तथा अवयस्क बच्चों से है) के पास प्रश्नगत अभिकरण के विकास क्षेत्र में विकास प्राधिकरण, आवास–विकास परिषद, इर्म्पूमेन्ट ट्रस्ट, किसी स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि द्वारा विकसित कालोनियों में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्तर्गत कोई अपना भूखण्ड़/भवन नहीं होना चाहिए तथा उत्तर प्रदेश के अन्य किसी नगर अथवा शहरी क्षेत्र में उपरोक्त अभिकरणों द्वारा विकसित कॉलोनियों में एक से अधिक भूखण्ड/भवन नहीं होना चाहिए।

4.4 जिन व्यक्तियों ने गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पहले से ही पंजीकरण करवाया हुआ है तथा अभी आवंटन नही हुआ है ऐसे व्यक्ति भी निर्धारित पंजीकरण शुल्क जमा करा कर आवेदन कर सकते है किन्तु उन्हे इस योजना के अन्तर्गत अन्य लोगो के समकक्ष माना जायेगा। ऐसे आवेदकों को अपने पूर्व पंजीकरण व योजनाओं का स्पष्ट उल्लेख आवेदन पत्र में करना होगा।

1. SCHEME NAME :

Madhuban-Bapudham Pocket-A & B

2. THE SCHEME CODE

SCHEME	SCH. Code	PROP. Code
Madhuban-Baphudham Pocket- B (300 Sqmt.)	907	710
Madhuban-Baphudham Pocket-A & B (200 Sqmt.)	907	730
Madhuban-Baphudham Pocket- B (120 Sqmt.)	907	738
Madhuban-Baphudham Pocket-A & B (112.50 Sqmt.)	907	740
Madhuban-Baphudham Pocket-A & B (90 Sqmt.)	907	750
Madhuban-Baphudham Pocket- B (60 Sqmt.)	907	760
Madhuban-Baphudham Pocket- B (40 Sqmt.)	907	770

3. SCHEME DETAILS

Avialable on Table- No.1

3.1 LOCATION

These plots are situated in the area of the authority.

3.2 TYPES OF PLOTS

Different types of plots are available under this scheme. The details of plots are given in Table No. 1.

3.3 ESTIMATED AREA OF PLOTS :

Area of plots has been mentioned in col. No. 6 of Table No.- 1 This area may vary at the time of Possession.

3.4 ESTIMATED NUMBER OF PLOTS

Details of No. of Plots are given in col.- 11 of Table No. -1. Number of Plots can be changed without any prior information.

3.5 COST OF PLOTS

Cost of Plots has been mentioned in Col. No. 8 of Table No. 1. 10% extra of total cost will be payable in case of corner property as per G.O. dated 27-02-2009.

4. ELIGIBILITY

4.1 The applicant must be a citçen of India.

4.2 Applicant age should not to less then 18 years on the last date of submission of application form.

4.3 The applicant or his/her family (Family means applicant, his wife/her .husband & minor children) must not own any risidential plot/flat in any colony/scheme developed by Development Authority, Housing Board, improvment trust, any local body, co-operative society within National Capital Region. He/she must also not hold more than one plot/flat developed by the above said bodies in any other city/town of U.P.

4.4 Persons who are already registered with the G.D.A under its schemes may also apply under this scheme by paying registration amount, such applicants will be considered in this scheme. These applicants must clearly mention their old registration number and scheme details.

4.5 यदि कोई व्यक्ति (व्यक्ति विशेष) अथवा परिवार के आश्रित सदस्यों में से किसी भी एक सदस्य का एक से ज्यादा योजना में आवंटन हो जाता है तो वह व्यक्ति आवंटित सम्पत्ति में से मात्र एक सम्पत्ति में जमा की गई धनराशि को छोडकर बाकी सम्पत्ति की धनराशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जायेगी।

5. आवेदन कैसे करे

योजना के आवेदन पत्र विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com में दिये गये लिंक जनहित गारंटी (http://janhit.upda.in) पर ऑनलाई भरे जायेंगे तथा आवेदन पत्र की कीमत रू0 1100/– ऑनलाईन भुगतान एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक, डी–44, आर॰डी॰सी॰, राजनगर, गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

5.1 अपूर्ण अथवा गलत भरे गये आवेदन पत्र बिना सूचना के निरस्त कर दिये जायेंगे।

5.2 आवेदक को आवेदन पत्र पर राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित पासपोर्ट साईज फोटों लगाना आवश्यक होगा।

6. पंजीकरण शुल्क

तालिका–1 के कालम संख्या 9 व 10 में दर्शायी गई धनराशि का भुगतान एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक, डी–44, आर॰डी॰सी॰, राजनगर, गाजियाबाद के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना होगा।

6.1 आवंटन धनराशि

लॉटरी ड्रा के आधार पर सफल आवेदको को आवंटित भूखण्ड़ के अनुमानित मूल्य का 20 प्रतिशत आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 2 माह की अवधि के अन्दर बिना ब्याज के ऑन लाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट के रूप में जमा कराना होगा।

6.2 किश्तें

आवंटन पत्र जारी होने के उपरान्त शेष 80 प्रतिशत धनराशि 12 तिमाही किश्तों में 10.5 प्रतिशत ब्याज सहित देय होगी। ब्याज को किश्तों में जोड़कर भुगतान विवरण तैयार किया जायेगा। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। ब्याज की गणना रूपये के निकटतम पूर्णांक में होगी। किश्तों से सम्बन्धित धनराशि ऑन लाईन आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लोहिया नगर, एच.डी.एफ.सी. आर0डी0सी0, राजनगर में जमा की जा सकेगी। ऑन लाईन के अतिरिक्त किश्तों का भुगतान पे–आर्डर/बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बैंक ऑफ बडोदा, नवयुग मार्केट, पी.एन.बी. अम्बेडकर रोड़, मोहन नगर, इन्दिरापुरम, ओ.बी.सी., लोहिया नगर एवं एच.डी.एफ.सी. आर0डी0सी0, राजनगर, आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लोहिया नगर में किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक बैंक में उपलब्ध निर्धारित चालान फार्म पर जमा किया जा सकता है। ड्राफ्ट उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में देय गाजियाबाद में भुगतान योग्य होना चाहिए। किसी भी दशा में चैक स्वीकार नहीं किया जाएगा।

6.3 आवंटन राशि/किश्तों के भुगतान हेतु देय राशि की निर्धारित तिथि के बाद 29 दिन अनुग्रह अवधि दी जाएगी तथापि यदि देय तिथि को किश्त की किसी भी पिछली धनराशि का भुगतान शेष रहता है तो अग्रिम किश्त पर कोई अनुग्रह अवधि नही दी जाएगी तथा भुगतान की मूल देय तिथि से 13.5 प्रतिशत (10.5 प्रतिशत ब्याज + 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज) ब्याज का भुगतान करना होगा। भवन के परित्याग के लिए अनुग्रह अवधि केवल किश्तों के भुगतान करने के लिए है। समय विस्तार के प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किए जाएंगे।

4.5 If a parson or his/her family gets allotment in more than one scheme, he/she will get full refund of money deposited for all other properties without any interest except one which he/she wants to retain.

5. HOW TO APPLY

The application form is to be filled and submitted online on website www.gdaghaziabad.com, on Janhit Garantntee (https:// janhit. upda.in) the cost of the form will be Rs. 1100/- and it will be paid through HDFC Bank D- 44, RDC, Rajnagar, Ghaziabad.

5.1 Incomplete or incorrect application forms will be cancelled without making any reference or intimation to the applicant.

5.2 Applicant must paste a passport sçe photograph duly attested by a Gazzetted officer or Public Notary on application form.

6. REGISTRATION FEE

The amount shown in Table No. 1 Column 9 & 10 has to be submitted by way of the filled application form. Through HDFC Bank D- 44, RDC, Rajnagar, Ghaziabad.

6.1 ALLOTMENT AMOUNT

All payment will be paid two month only Successful candidates in lottery draw will have to deposit 20% (with adjustment of registration money) of the cost of the PLOT, On-line/by pay-order/ Bank draft, within two month without interest from the date of issue of allotment letter.

6.2 INSTALMENTS

After the allotment. Balance 80% amount shall be payable in 12 quarterly instalments with 10.5% interest. The instalments shall be fixed including the interes. Interest shall be calculated in round figure. The instalments of dues can be deposited online in ICICI branch lohia nagar, HDFC branch of RDC Rajnagar. Payment of installment can be also be made through payorder/bank draft in PNB branch, Bank of Barodra, Navyog market, PNB Ambedkar road branch, Mohan nagar branch, Indirapuram branch, OBC lohia nagar, HDFC bracch RDC rajnagar, ICICI branch of lohia nagar on city on any working day at 10 am to 4 pm in prescurived challan form, Draft/payorder would be paybill in the favour of Vice-Chairman, G.D.A. Ghaziabad shall be cheque will be not accepted under any circumstances.

6.3 Grace period of 29 days shall be given for payment of allotment amount/instalments after the due date. However, if any previous amount of instalment stands unpaid on the due date, no grace period will be admissible on the current instalm13.5 % interest (Interest 10.5% + 3% penal interest) shall be payable w.e.f. the original due date of payment. Grace period is allowed only for the installments. Applications for extension of time for payment of allotment and installments amount shall not be entertained.

6.4 पैनल ब्याज

यदि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को देय धनराशि का भुगतान निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता है तो 13.5 प्रतिशत (10.5 प्रतिषत ब्याज + 3 प्रतिशत दण्ड ब्याज) की वार्षिक दर से पैनल ब्याज सहित देय राशि का भुगतान करना होगा। तीन महीने की अवधि में भुगतान न करने की दशा में बिना किसी पूर्व सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

6.5 एकमुश्त भुगतान पर छूट

आवंटी द्वारा भूखण्ड़ की कीमत का आवंटन पत्र/आरक्षण पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिनों में अवशेष धनराशि एकमुश्त भुगतान करने पर भूखण्ड़ के कुल मूल्य पर 5 प्रतिशत की छूट दी जाऐगी।

7. समर्पण/निरस्तीकरण

7.1 किसी भी परिस्थिति में लाटरी ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापिस किये जाने का प्राविधान नही है। ड्रा से पूर्व पंजीकरण धनराशि वापसी के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद का निर्णय अन्तिम होगा।

7.2 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भूखण्ड का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है तथा नियम व शर्तो का उल्लघंन नहीं करता है, तो उस स्थिति में पंजीकरण राशि की 10 प्रतिशत धनराशि कटौती कर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। धनराशि वापसी हेतु समस्त मूल प्रपत्र व मूल रसीद देनी होगी।

7.3 यदि किसी आवेदक द्वारा आवंटित भूखण्ड का समर्पण आवंटन तिथि के 6 माह के अन्दर किया जाता है परन्तु आरक्षण राशि व देय किश्त जमा नहीं करता है अथवा किसी अन्य नियम व शर्तो का उल्लघंन के आधार पर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है तो पंजीकरण राशि की 25 प्रतिशत धनराशि जब्त कर ली जायेगी और शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7.4 आवंटन तिथि से 6 माह के पश्चात किसी भी प्रकार के समर्पण/निरस्तीकरण की दशा में सम्पूर्ण पंजीकरण धनराशि जब्त कर ली जाएगी और शेष धनराशि यदि कोई है तो बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

7.5 यदि आवंटी प्राधिकरण द्वारा निर्गत कब्जा पत्र में निर्धारित तिथि तक भूखण्ड का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से चौकीदारी शुल्क गा0वि0प्रा0 को देना होगा तथा इस शुल्क में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी की जाती रहेगी।

7.6 भुगतान विवरण के अनुसार 3 त्रैमासिक किश्तें लगातार अदा न करने पर भूखण्ड का नियमानुसार आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण को होगा।

8. आय कोड

इस योजना में कोई आय सीमा निर्धारित नही हैं एवं आय कोड 01 है।

9. कोटा

निम्नलिखित श्रेणी के आवेदकों को शासनादेश के अनुसार आरक्षण की सुविधा दी जायेगी। जो नीचे दिये गये प्रतिशत के अनुसार होगी।

क्र0सं0	कोटे का विवरण	कोटा कोड	कोटा प्रतिशत
1.	अनुसूचित जाति	02	21%
2.	अनुसूचित जन जाति	03	2%
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	04	27%

6.4 PENAL INTEREST

If the amount payable to Ghaziabad Development Authority is not paid within time, penal interest @13.5% (Interest 10.5% + 3% penal interest) per annum shall be payable along with the payable amount. Penal interest will be calculated on day basis.

6.5 ONE TIME PAYMENT DISCOUNT

5% discount will be given in case the balance payment is paid within 60 days from the issuing date of the allotment letter/researvation letter.

7. SURRENDER/CANCELLATION

7 1 There is no provision of refund of registration amount before the draw of lottery in any condition, the refund of registration amount before the draw of lottery, the decision of Vice-Chairman, GDA will be final,

7.2 If any applicant surrenders the allotted plot within 6 months of allotment and he/she is not a defaulter on account of any breach of any terms and conditions, then 10% of the registration amount shall be forfeited and the balance amounts shall be refunded without any interest. All original documents and receipt will have to be submitted for refund.

7.3 If any applicant surrenders the allotted plot within 6 months of allotment but does not pay allotment money and due installment amount or breaches any term & conditions or his allotments is cancelled by G.D.A. on account of any breach of any terms and conditions, then 25% of the allotment amount shall be forfeited and the balance amount shall be refunded without any interest

7.4 In case of any surrender/cancellation after 6 months from the date of allotment, the whole of registration money shall be forfeited and balance amount, if any, shall be refunded without interest.

7.5 If the allotee does not take possession of the plot within the due time, he/she shall pay as per Rule per month as chowkidari charges to GDA and the will be increased automatically by 10% every year from 01 April.

7.6 The authority shall have the right to cancel th allotment of plot as per rule if there is default in payment of three consecutive instalments according to the payment schedule.

8. INCOME CODE

This Scheme has no income limit boundation and income code is 01.

9. QUOTA

FollowIng categories of applicants listed below will be given reservation facility as per the percentage of Govt. mentioned below.

S.N.	Quota Description	Quota Code	Quota %
1.	Scheduled Caste	02	21%
2.	Scheduled Tribe	03	2%
3.	Other Backward Class	04	27%

4. रक्षा कार्मिक एवं सरकारी कर्मचारी जिनकी आयु 50 वर्ष से अधिक हो

(क) रक्षा कार्मिक	05	5%
(ख) सरकारी कर्मचारी	06	

5. (क) स्वत्रन्त्रता सेनानी	08	5%
(ख) संसद सदस्य, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य	09	

6. (क) उ0प्र0 विकास प्राधिकरण कर्मचारी सिटी बोर्ड कर्मचारी	10	2%
(ख) सिटी बोर्ड कर्मचारी	11	
(ग) उ0प्र0 नगर निगम कर्मचारी	12	
(घ) उ0प्र0 जल संस्थान कर्मचारी	13	
(ड़) उ0प्र0 हाउसिंग बोर्ड कर्मचारी	14	
(च) नगर एवं ग्राम नियोजन के कर्मचारी (उ0प्र0 नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होने कम से कम 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	15	
(छ) उ0प्र0 आवास बन्धु उ0प्र0 के कर्मचारी (आवास बन्धु उ0प्र0 के वे कर्मचारी सम्मिलित होंगे जिन्होने कम से कम 2 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो)	16	
7. भूतपूर्व सैनिक एवं उनके आश्रित	17	3%

नोट: आरक्षण का दावा करने वाले आवेदको को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सक्षम प्राधिकारी स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नही किया जायेगा।

9.2 क्षैतिज आरक्षण

1) विकलांग आवेदको को कुल घोशित भूखण्ड़ की संख्या का 3 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा। अतः विकलांग आवेदकों को विकलांग होने का प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना होगा।

2) वरिष्ठ नागरिकों को भी कुल घोषित भूखण्ड संख्या का 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जायेगा तथा वरिश्ठ नागरिकों को आयु प्रमाण–पत्र भी संलग्न करना तथा आवेदन पत्र में आरक्षित कोटा भरना आवश्यक है। वरिष्ठ नागरिकों से तात्पर्य यह है कि योजना प्रारम्भ होने की तिथि को वरिश्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए।

9.3 विकलांग अथवा वरिष्ठ नागरिक होने का सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र संलग्न न किये जाने की दशा में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और ड्रा में सम्मिलित नही किया जायेंगा।

10. सामान्य आवेदक

आरक्षित श्रेणी के आवंटन के पश्चात् शेष भूखण्डों का आवंटन सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कर दिया जायेगा, सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत आवेदन करने वाले आवेदक अपने आवेदन पत्र की मद संख्या 14 के अन्तर्गत कोड 01 भरें।

11. ड्रा प्रक्रिया

11.1 योजना का लाटरी ड्रा लगभग 3 माह में किया जाना प्रस्तावित है।

11.2 योजना के ड्रा के समय उपस्थित होने के इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में मैनुअल/कम्प्यूटराईजड प्रक्रिया द्वारा ड्रा निकालकर भूखण्ड का आवंटन किया जायेगा। लाटरी की तिथि एवं स्थान की

4. Defence Persons, Persons in Govt. Service who have Attained the age of 50 years.

(a)	Defence Persons.	05	5%
(b)	Persons in Govt. Service	06	

5. (a)	Freedom Fighters	08	5%
(b)	MP/MLA/MLC	09	

6. (a)	U.P. Development Authority Employees	10	2%
(b)	U.P. Municipality/City Board Employees	11	
(c)	U.P. Nagar Nigam Employees	12	
(d)	U.P. Jal Sansthan Employees	13	
(e)	U.P. Housing Bord Employees	14	
(f)	U.P. City & Village planning's Employees (Those employees) U.P. City & Village planning Department, who have finished minimum 10 years In regular service will be included.)	15	
(g)	Awas Bandhu of U.P. Employees (Those employees of Awas Bandhu of U.P. who have finished minimum 2 years in regular service.)	16	
7.	Ex-Servicemen and their dependents	17	3%

Note: Applicant clalming for the allotment under any reservation category must attach reservation certificate issued by the competent authority, otherwise registration form will be cancelled and will not be considered in draw.

9.2 HORIZENTAL RESERVATION:

1) Handicapped applicants will be given 3% horçontal reservation of total plots. Such applicants are required to attach certificate of their being handicapped.

2) Senior cittezen will 10% horizontal reservation of total plots. Such applicants are advised to attach certificate of reserved category with the certificate of senior cittezen and reservation category must be filled In the application form. Senior cittezen must have completed 60 years of age at the beginning of the registration date.

9.3 In case of non attachment of 'handicapped' or 'senior cittezen' certificate Issued by competent authrity, the application will be declared Invalid and will not be included In the draw.

10. GENERAL APPLICANTS:

After allotment of reserved category remaining plots shell be alloted to the person registered under general cetegory. Applicants applying under general category should fill 01 as quota code in their applications against Item No. 14 of the application form.

11. DRAW PROCEDURE:

Lottery Draw of the scheme is proposed with in the 3 months.

The reservation/allotment of plot will be made by a manual/ computerçed draw in the presence of the applicants, Who wish to be present. No Information

सूचना व्यक्ति विशेष को अलग से नही दी जायेगी। उक्त सूचना का प्रकाषन समाचार पत्रों के माध्यम से किया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकार नही की जायेगी। किसी भी आवेदक द्वारा किसी भूखण्ड़ विशेष हेतु कोई भी क्लेम स्वीकार नही होगा।

12. असफल आवेदक

12.1 जिन आवेदकों को भूखण्ड आवंटित नही हो पाते है और जिनकी जमा राशि एक वर्ष से कम अवधि के लिए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास जमा है उन्हे पंजीकरण राशि बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी। अवधि की गणना इस प्रयोजन हेतु योजना बन्द होने की तिथि से ड्रा की तिथि के दो माह बाद की तिथि तक की जायेगी।

12.2 यदि प्राधिकरण द्वारा इस योजना का ड्रा पंजीकरण की अन्तिम तिथि के एक वर्ष के अन्दर कर लिया जाता है तो जमा पंजीकरण राशि पर कोई ब्याज देय नही होगा। यदि ड्रा एक वर्ष के बाद किया जाता है तो पंजीकरण की अन्तिम तिथि से ड्रा की तिथि तक 3.5 प्रतिशत साधारण ब्याज देय होगा।

12.3 असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि आवेदक के बैंक खाते में दो माह के बाद आन लाईन अथवा बैंक ड्राफ्ट/चैक द्वारा सम्बन्धित बैंक की नोडल शाखा के माध्यम से वापस कर दी जायेगी। आवेदक आवेदन पत्र में अपना खाता संख्या, बैंक का नाम व आई0एफ0एस0सी0 कोड आवश्य भरें। रिफन्ड हेतु किसी आवेदन पर प्राधिकरण द्वारा सीधे कोई कार्यवाही नही की जायेगी।

12.4 असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी लाटरी ड्रा निकलने के दो माह के अन्दर कर दी जायेगी।

13. मिथ्या अभ्यावेदन अथवा तथ्यों का छुपाना

यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा गलत सूचनाएं दी गई है अथवा उसने किन्ही वास्तविक तथ्यों को छुपाया है तो पंजीकरण के साथ–साथ भूखण्ड का आवंटन आवेदक को बिना बताये निरस्त कर दिया जाएगा तथा उसे भविष्य में होने वाले ड्रा से वंचित कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि को जब्त कर लिया जाएगा। तत्क्रम में प्राधिकरण कार्यालय में कैम्प आयोजित होगा।

14. विक्रय पद्धति

भूखण्ड़ का आवंटन फ्री–होल्ड आधार पर किया जायेगा। फ्री–होल्ड अधिभार भूखण्ड के मूल्य का 12 प्रतिशत एवं भूखण्ड का वास्तविक मूल्य एवं अनुमानित मूल्य के अन्तर की राशि कब्जा/रजिस्ट्री से पूर्व देय होगी।

14.1 विक्रय विलेख

आवंटी को भूखण्ड का समस्त मूल्य एवं भूखण्ड की कीमत का 12 प्रतिशत लीज किराया व फ्री–होल्ड चार्जेज जमा कराकर 3 महिनें के अन्दर समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराकर अपने खर्चे पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में विक्रय विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्राधिकरण द्वारा तत्समय की गई दण्डात्मक कार्यवाही आवंटी को मान्य होगी।

15 कब्जा

15.1 इस योजना में भूखण्ड का कब्जा अनुबन्ध विलेख अथवा पट्टा विलेख निष्पादित एवं पंजीकृत कराने के उपरान्त दिया जायेगा जिसका व्यय आवंटी द्वारा वहन किया जायेगा।

regarding date and place for lottery shall be given Individuslly, This Information shall be published In the Newspapers. Any objection In this behalf shall not be entertained. No request for specific plot by any appicant shall be entertained.

12. UNSUCCESSFUL APPLICANTS

Those applicants who have not been allotted the plot amount will be refunded without interest, If the period of deposit with GDA Is less than one year. Deposit time for this purpose shall be considered from closing date of scheme to two months after draw date.

12.2 If the draw is held within one year no interest on deposit would be given. Only 3.5% simple interest from the last date of registration to the date of draw will be given, if the draw is held after one year.

12.3 The registration amount of the unsuccessful applicant will be refunded to the applicant bank account after two months. On line or bank draft in respected nodal branch of the bank. Applicant must fill their account number, bank name and IFSC code in the application from. No action taken by the authority directly on any application for refund registration amount.

12.4 The refund of registration amount to unsuccessful applicants shall be start within two month of the draw.

13. REPRESENTATION OR SUPPRESSION OF FACTS

If it is found that the applicant has given incorrect information or suppressed any material fact, the allotment will be cancelled without any communication to the applicant and he/she will be debarred from participating in future draws. Further his/her registration amount shall be forfeited. Every day camp organized at GDA Meeting hall.

14. SALE PATTERN:

Allotment of plot shall be given on the freehold basis. Freehold Surcharges 12% of total cost of plot and difference of the estimated cost & final cost will be payable at the time of Possesion/Registry.

14.1 SALE DEED

Allottee has to deposit the full amount of the plot along with 12% lease rent and freehold charges at his/her own cost must complete all formalities and get the sale deed executed and registered in prescribed proforma by the authority, within three months of paying full cost of the property. Otherwise allottee will face punishment Proceeding as per prevailing laws of authority at that time.

15. POSSESSION

15.1 Possession of the plot will be given after the lease deed is excluded & registered. The expenditure will be born by allottees.

15.2 आवंटी को समय समय पर लागू होने वाले समस्त म्यूनिसिपल कर एवं अन्य कर जो स्थानीय निकाय या शासन द्वारा नियम एवं उपनियम के अन्तर्गत लगाये जाते है, का भुगतान कब्जा लेने की तिथि से समय पर जमा कराना होगा। इसके अतिरिक्त यदि अन्य किसी कर की देयता होगी, तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।

15.3 आवंटी विद्युत कनेक्शन व पानी का कनेक्शन सम्बन्धित विभागों से अपने खर्चे पर स्वयं लेगा।

15.4 यदि आवंटी प्राधिकरण द्वारा निर्गत कब्जा पत्र में निर्धारित तिथि तक भूखण्ड का कब्जा नहीं लेता है तो आवंटी को नियमानुसार प्रतिमाह की दर से चौकीदारी शुल्क गा0वि0प्रा0 को देना होगा तथा इस शुल्क में प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से 10 प्रतिशत की स्वतः बढ़ोत्तरी की जाती रहेगी।

16. भूखण्ड़ों का प्रयोग

आवंटी द्वारा भूखण्ड़ों का प्रयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए ही किया जाएगा। इस हेतु आवेदन के साथ शपथ पत्र देना होगा।

17. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं

17.1 आवंटन तक इस योजना की किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार उपाध्यक्ष, गा0वि0प्रा0 को होगा तथा ऐसे संशोधन आवेदकों/आवंटियों को मान्य होंगे।

17.2 तालिका 1 में दर्शाये गये भूखण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। योजना के कब्जा के समय भूखण्डों के क्षेत्रफल में परिवर्तन संभव है जो कि अन्तिम रूप से बाद में सूचित किया जाएगा जिसे आवंटी को स्वीकार करना होगा तथा उसके अनुसार भुगतान करना होगा।

17.3 इस योजना से सम्बन्धित प्रत्येक मामले पर उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।

17.4 भवनों का विक्रय जहाँ है जैसा है के आधार पर किया जायेगा।

17.5 किसी भी विवाद की दशा में न्यायालय गाजियाबाद को ही अधिकार क्षेत्र प्राप्त होगा।

18. ऑनलाईन आवेदन कैसे करें :

योजना के आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट www.gdaghaziabad.com पर ऑनलाईन भरे जायेगें तथा ऑनलाईन ही जमा करने होगें। आवेदन पत्र की कीमत ₹ 1100/- हेतु ऑनलाईन भुगतान एच0डी0एफ0सी0 बैंक, डी–44, आर0डी0सी0, राजनगर, गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

19. आवेदन हेतु दस्तावेजों की सूची

1. आवेदक का फोटो, 2. आधार कार्ड की प्रति, 3. शपथ–पत्र, 4. पैन कार्ड, 5. रद् चेक की छायाप्रति, 6. जाति प्रमाण–पत्र

20. ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु प्रक्रिया

- वैब बाउजर खोलकर URL में janhit.upda.in टाइप कर पोर्टल खोलें।
- स्क्रीन पर उपलब्ध पांच विकल्पों (Options) में से ORA-Registration for Allotment पर क्लिक कर Proceed करें।
- सम्बन्धित प्राधिकरण जी0डी0ए0 का चयन करें।
- लॉग–इन बनाने हेतु Create Account पर क्लिक करें।
- ऑनलाईन फॉर्म में आवेदक से सम्बन्धित विवरण प्रविष्ट करें तथा आवेदक का फोटो संलग्न (Upload) कर Submit बटन पर क्लिक करें। आवेदक द्वारा उपलब्ध कराये गए मोबाईल नं0 पर प्राप्त OTP

15.2 Allottee shall pay all the municipal taxes and any other taxes which may be charged by Government or any local bodies from time to time according to laws and bye-laws from the date of possession. If any other liability and taxes are pay by allotee.

15.3 Allottee, himself/herself, will apply for the electricity/ water connection to the concerned department at his/her own expenses.

15.4 If the allotee does not take possession of the plot within the due time, he/she shall pay as per Rule per month as chowkidari charges to GDA and the will be increased automatically by 10% every year from 01 April.

16. USE OF PLOTS

The PLOT shall not be used for any other purpose except residential byte allottee should be attched the affidavit

17. OTHER IMPORTANT NOTICES

17.1 Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, reserves the right to amend any terms and conditions of the scheme till the time of allotment and such amendment or amendments shall be acceptable and binding on the applicants/allottees.

17.2 Area of plots shown in table-1 may change at the time of actual Possession of the scheme. Changed area will be acceptable to the allottee and payment shall be made accordingly.

17.3 Decision of the Vice-Chairman, Ghaziabad Development Authority will be final in every matter regarding this scheme.

17.4 Flats will be sold in the condition in which they are already present.

17.5 Ghaziabad courts shall have exclusive jurisdiction in case of any disputes.

18. HOW TO APPLY ONLINE

On line application will be filled in authority website www.gdaghaziabad.com and will have to submit on line. Online payment for the ₹ 1100/- will be paid through HDFC bank, D-44, RDC Rajnagar, Ghaziabad.

19. LIST OF DOCUMENTS FOR APPLICATION

1. Photo of Applicant, 2. Copy of Aadhar Card, 3. Affidavit, 4. PAN Card, 5. Photo copy of Cancelled Cheque, 6. Cast Certificate

20. PROCESS FOR ONLINE REGISTRATION

- Open the web bauger URL and type janhit.upda.in
- Proceed by clicking on ORA Registration for Allotment out of the five options available on the screen.
- Select the authority G.D.A, Ghaziabad.
- Click on Create Account to create a login.
- Enter the details related to the applicant in the online form and attach the applicant's tax photo (Upload) and click on the Submit button. Verify the OTP received on

को डालकर Verify करें। इस प्रकार Account Create हो जाएगा।

- लॉग–इन करने हेतु User Name एवं Password प्रविष्ट कर Continue बंटन पर क्लिक करें।
- आवेदन करने हेतु Add New Registrations पर क्लिक करें।
- ऑनलाइन फॉर्म में स्कीम सिलेक्ट कर वांछित जानकारी प्रविष्ट कर Save & Next पर क्लिक करें।
- सफल आवेदक न होने की स्थिति में रिफण्ड (Refund) हेतु बैक एकाउट की जानकारी प्रविष्ट कर Save & Next पर क्लिक करें।
- दस्तावेजों को upload कर affidavit को generate करने हेतु बंटन पर क्लिक कर शपथ–पत्र को पढ़ने के उपरान्त I have read and accept the above पर क्लिक करें।
- आवेदन हेतु सम्बन्धित Categories सिलेक्ट कर दस्तावेज संलग्न (Upload) कर Submit बंटन पर क्लिक करें।
- आपका आवेदन सफलतापूर्वक Submit हो गया है।
- सफलतापूर्वक Submit हुए आवेदनों की सूची लॉग–इन में उपलब्ध रहेगी। आवेदन के सामने उपलब्ध Pay button पर क्लिक करें।
- Registration Form मे दी गयी राशि का भुगतान करने हेतु Pay button पर क्लिक करें।
- आप डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड/नेट बैकिंग के माध्यम से भुगतान कर सकते है।
- सलतापूर्वक भुगतान होने पर Registered नम्बर पर SMS के माध्यम से Application No. प्राप्त होगा।

the mobile number provided by the applicant. In this way Account Create will be done.

- To login, enter the User Name and Password and click on Continue buttion.
- Click on Add New Registrations to apply.
- Select the scheme in the online form, enter the desired information and click on Save & Next.
- In the event of not being a successful applicant, enter the information about the back account for Refund and click on Save & Next.
- After reading the affidavit by clicking the buttion to generate affidavit by uploading the documents, I have read and click on accept the above.
- Select the relevant categories for the applicant and upload the document and click on Submit buttion.
- Your application has been submitted successfully.
- The list of successfully submitted applications will be available in the login. Click on the Pay button available in front of the application.
- To pay the amount given in the registration form, click on the Pay button
- You can pay through debit card / credit card / net banking.
- Successfully payment in online and generate Application No. on registered mobile number by SMS.

Vice-Chairman
Ghaziabad Development Authority

भूखण्डों की तालिका–1

क्र0 सं0	योजना का नाम	सम्पत्ति का प्रकार	योजना कोड	सम्पत्ति कोड	भूखण्ड का अनुमानित क्षेत्रफल (वर्ग मी॰)	भूखण्ड संख्या	न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू लाख में)	अन्य आवेदकों के लिए 10% धरोहर राशि (रू लाख में)	ST/SC आवेदकों के लिए 5% धरोहर राशि (रू लाख में)	भूखण्डों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1.	मधुबन बापूधाम आवासीय योजना के पॉकेट–ए0 एवं बी0	आवासीय भूखण्ड	907	710	300.00	B-857 to B-865	89.15	8.91	4.46	9
2.			907	730	200.00	A-357 to A-376 B-811 to B-834 B-609 to B-631	59.43	5.94	2.97	67
3.			907	738	120.00	B-485 to B-490	35.66	3.57	1.78	6
4.			907	740	112.50	A-697 to A-720 A-408 to A-425 B-464 to B-466	33.43	3.34	1.67	45
5.			907	750	90.00	A-481 to A-503 A-449 to A-464 A-426 to A-448 B-663 to B-687 B-697 to B-708	26.74	2.67	1.34	99
6.			907	760	60.00	B-203 to B-211 B-244 to B-252 B-301 to B-324 B-460 to B-463	17.83	1.78	0.89	46
7.			907	770	40.00	B-253 to B-257 B-296 to B-300 B-325 to B-354 B-367 to B-376	11.89	1.19	0.59	50

आवेदन पत्र भरने के लिए मार्गदर्शन सिद्धान्त

1. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर आवेदकों द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा जिसे आवेदक द्वारा नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर किसी प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा सब रजिस्ट्रार कार्यालय से पंजीकृत कराकर जिसे विशेष अटोर्नी अधिकार दिया गया हो, के द्वारा आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर जमा करना होगा।

2. आवेदकों द्वारा आवेदन पत्र के कोड आदि 1,2,3,4,5,6 आदि भरने के लिए भारतीय संख्याओं के अन्तर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग किया जाना चाहिए। केवल इस प्रकार भरे हुए कोड नं0 को ही अभिलेखों में लिया जाएगा।

3. इन आवेदन पत्रों को एक कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। अतः इन फार्मो को केवल अंग्रेजी के बडे अक्षरों में ही भरा जाना चाहिए। तथापि उस पर हस्ताक्षर किसी भी भाषा में किए जा सकते है।

4. विभिन्न मदों के कोड नं0 स्कीम ब्रोशर में दिए गए है।

5. अधूरे/अवैध/अपठनीय आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नही किया जायेगा।

6. एक खाने में केवल एक वर्ण (अक्षर अथवा अंक) ही भरें।

7. नाम/पता के लिए प्रत्येक दो शब्दों के बीच में एक खाना खाली छोड़ें।

8. आवंटी द्वारा भविष्य में किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन संख्या, योजना कोड़ एवं सम्पत्ति कोड अवश्य लिखना चाहिए। जब तक आवेदक को सम्पत्ति कोड़ नही मिलता है फार्म की क्रम संख्या लिखी जा सकती है।

9. डाक पते में हुए किसी भी परिवर्तन की सूचना परिवर्तित पते का पहचान पत्र/निवास प्रमाण पत्र सहित गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को तत्काल दी जानी चाहिए।

10. आवेदन पत्र भरने के लिए मदवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

10.1 मद 1: **योजना का नाम** पूर्ववत अंकित है।

10.2 मद 2: **योजना कोड :** योजना कोड आवेदन फार्म में पूर्ववत ही अंकित है।

10.3 **मद 3 एवं 4 : सम्पत्ति कोड एवं सम्पत्ति श्रेणी :** आवेदन फार्म में स्वयं भरें।

10.4 **मद 5, 6, 7, 8 एवं 9 : नाम, पिता/पति का नाम, पता, पिन कोड, पैन नं., आयु, ई–मेल एवं दूरभाष नं.:** ये स्वयं सुस्पस्ट है।

10.5 **मद 10: आयुः** इस मद में आयु वर्षो में लिखें उदाहरणार्थ 32 वर्ष।)किसी एक वर्ष को कोई अंश न लिखा जाए।)

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM

1 The application from must be signed by the applicant(s), or by a person duly authorised by a special power of attorney should be on a Non-Judicial Stamp Paper duly attested by a First Class Magistrate or registered in Sub- Registrar's office.

2. The Applicant(s) should use only international form of Indian numerals in the filling of the application form for writing the codes e.g 1, 2, 3, 4, 5, 6 etc. Only the code number as thus filled-in will be taken into account.

3. The application forms are processed by a computerised system. Hence, these forms should be filled-in ENGLISH BLOCK LETTERS. Only the signature(s) may, however, be in any language

4. Code Number for various items are given in the scheme brochure.

5. Incomplete/Invalid/Illegible applications are likely to be rejected. No correspondence in this regard shall be entertained.

6. Write only one character (alphabet or digital) in one block.

7. For Name/Address, leave one blank space in a block between any two words.

8. In all future correspondence Applications No., Scheme Code, property Code should be quoted. However, Form SI. Number may be quoted till Allottee's Code is not received.

9. Any change in mailing address should be informed immediately to the Ghaziabad Development Authority with the proof of changed Voted I-card/Residential Certificate.

10. Item wise details for filling the application form are given below:

10.1 Item-1 : SCHEME NAME : Scheme name already filled in application form

10.2 Item-2 : SCHEME CODE : Scheme code already filled in application form

10.3 Items - 3 & 4: PROPERTY CATEGORY and PROPERTY CODE: Self fill in the application form

10.4 Items - 5, 6, 7, 8 & 9 : NAME, FATHER'S/ HUSBAND'S Name, ADDRESS, PIN CODE, PAN NO., DATE OF BIRTH, E-MAIL and TELEPHONE NO.: These are self explanatory.

10.5 Item-10 GAE: Fill AGE IN the column (in years only)i.e. 32. No fraction of a year should be mentioned.

10.6 **मद 11: लिंग** इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई एक जो आप पर लागू हो भरें। यह सूचना केवल प्रथम नाम/एकल आवेदक के संदर्भ में होनी चाहिए।

पुरूष के लिए–एम, महिला के लिए–एफ, अन्य (कम्पनियों) के लिए–ओ

10.7 **मद 12: वैवाहिक स्थितिः** इस मद में नीचे दिये गये अक्षरों में से कोई जो आप पर लागू हों भरें।
विवाहित के लिए–एम
अविवाहित के लिए–एस
विधवा/विधुर के लिए–डब्ल्यू
अन्य (कम्पनियों आदि) के लिए–एन

10.8 **मद 13 : व्यवसाय कोड :** यह तालिका 2 में दिया गया है।

10.09 **मद 17 : भुगतान कोडः** भुगतान योजना कोड में किस्तों में भुगतान हेतु 02 भरें एवं एकमुश्त भुगतान हेतु 01 भरें।

10.10 **मद 18 : आय कोडः** कृपया आय कोड 01 भरें।

10.11 **मद 19 : वार्षिक आयः** यहां आवेदकों एवं उसकेपरिवार की कुल वार्षिक आय भरें।

10.12 **मद 20, 21, 22 एवं 23 :** ये सभी मदें अपने आप में सुस्पष्ट है।

11.0 आवेदक के हस्ताक्षर : ये सुस्पष्ट है। बिना हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा।

12.0 योजना में भवन आवंटन के बाद आवेदन पत्र में पते के अतिरिक्त और किसी भी प्रकार का परिवर्तन अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

10.6 Item- 11 SEX: Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column. The information should be with reference to the first named of sole applicant only.

'M' FOR Male 'F' for Female '0' for others (Such as companies etc.)

10.7 Item-12 MARITIAL STATUS : Fill one of the following alphabets as applicable in your case against this column.
M for married
S for unmarried
W for Widow/ Widower
N for others (such as companies etc.)

10.8 Item-13 :OCCUPATION CODE: These are given in Table-2

10.9 Item - 17:PAY PLAN CODE : Please fill up 02 in pay plan for installment and 01 in One-Time Payment Plan.

10.10 Item - 18: INCOME CODE: Please fill up 01 in income code.

10.11 Item - 19: ANNUAL INCOME : Here fill up total annual income of the applicant (S) and his/her family.

10.12 Item - 20, 21, 22 and 23: All these items are self explanatory.

11. ALLOTTEE'S SIGNATURE: This term is self explanatory. Unsigned application form is liable to rejection.

12. No request in change of contents of application form shall be entertained after the flat allotted of scheme except change in address.